

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ (गंगापुर परिसर), वाराणसी
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith (Gangapur Campus), Varanasi

छात्रसंघ चुनाव : 2018-19
Student Union Election: 2018-19

डॉ० बंशीधर पाण्डेय
चुनाव अधिकारी
Dr. Banshidhar Pandey
Election Officer



महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी-221002
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-221002
Mobile No. - 7617890900
E-mail: pandaybd@gmail.com

पत्रांक/Ref.No. : छा0सं0चु0(गंगापुर) / 109 / 2018-19

दिनांक : 24 / 10 / 2018

छात्र संघ चुनाव 2018-19 (गंगापुर परिसर) के उम्मीदवारों के लिए आचार-संहिता

1. किसी भी उम्मीदवार के लिए जाति, सम्प्रदाय, धर्म, क्षेत्र एवं भाषा समूह के आधार पर छात्र-छात्राओं के बीच आपसी घृणा, वैमनस्य या तनाव पैदा करना अथवा तनाव प्रेरित करने वाली गतिविधियों में सम्मिलित होना सर्वथा वर्जित होगा।
2. अन्य उम्मीदवारों/प्रतिद्वंदियों की आलोचना, उनकी नीतियों, कार्ययोजनाओं तथा पूर्व की ख्याति एवं कार्य के परिप्रेक्ष्य तक ही सीमित होगी। अन्य उम्मीदवारों या उनके समर्थकों के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलू जिसका सम्बन्ध उनके सार्वजनिक जीवन के क्रियाकलापों से न हो, की आलोचना से सभी उम्मीदवारों को परहेज करना होगा। असत्यापित या तोड़-मरोड़ कर लगाये गये आरोपों के आधार पर आलोचना से भी बचना होगा। किसी भी उम्मीदवार का चरित्र हनन करना वर्जित होगा।
3. मत प्राप्ति के लिए जातिगत या साम्प्रदायिक भावना उभाड़ने वाली अपील वर्जित होगी। विश्वविद्यालय परिसर के अन्दर या बाहर किसी भी पूजास्थल का चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग वर्जित होगा।
4. सभी उम्मीदवारों के लिए किसी भी प्रकार के कदाचारपूर्ण आचरण और अपराध में संलिप्तता वर्जित होगी। मतदाताओं को रिश्वत देना, धमकाना, अन्य मतदाता के बदले मतदान करना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार अथवा मतदाता सम्पर्क करना, मतदान समाप्ति के पूर्व के 30 घण्टे की अवधि में जनसभा करना, तथा मतदान केन्द्र तक मतदाताओं को पहुँचाना या लाने-ले जाने के लिए वाहन की सुविधा प्रदान करना पूर्णतः वर्जित होगा।
5. चुनाव प्रचार अथवा मतदाता सम्पर्क हेतु छपे हुए विज्ञापन, पर्चे या अन्य किसी भी प्रकार की मुद्रित प्रचार सामग्री का प्रयोग सभी उम्मीदवारों के लिए वर्जित होगा। केवल हस्तलिखित विज्ञापनों/प्रचार सामग्रियों के प्रयोग की अनुमति होगी, बशर्ते वे निर्धारित व्यय सीमा के अन्दर प्राप्त किये गये हों।
6. उम्मीदवार हस्तलिखित विज्ञापनों का प्रयोग/प्रदर्शन गंगापुर परिसर में सम्बन्धित चुनाव अधिकारी द्वारा पूर्व से चिन्हित/घोषित स्थान पर ही कर सकते हैं। संस्था के भवनों एवं उसकी चहारदीवारी के भीतरी एवं बाहरी सतहों पर प्रचार के लिए कुछ भी लिखना/चिपकाना वर्जित होगा।
7. उम्मीदवारों के लिए विश्वविद्यालय के गंगापुर परिसर से बाहर जुलूस निकालना, सभा आयोजित करना, प्रचार करना या प्रचार सामग्री का वितरण करना सर्वथा वर्जित होगा।
8. किसी अन्य संस्था/एजेन्सी के लगाये गये विज्ञापनपट्ट को मत प्राप्ति के लिए न तो रंगा जायेगा और न उसपर कुछ लिखा जायेगा।
9. कोई भी उम्मीदवार या उसका समर्थक विश्वविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति को विरूपित अथवा नष्ट नहीं करेगा और न ही सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना उनका उपयोग करेगा। विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाने की दशा में सभी उम्मीदवार अलग-अलग और संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे, नुकसान की भरपाई के सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्था के अधिकारी निर्णय/कार्यवाही करेंगे।
10. उम्मीदवारों के लिए पठन-पाठन के बीच कक्षा में घुसकर प्रचार/मतदाता सम्पर्क करना या कक्षा की शान्ति भंग करना सर्वथा वर्जित होगा। कक्षा विसर्जित होने के बाद अथवा मध्यावकाश में जब कक्षाएँ न हों प्रचार/मतदाता सम्पर्क किया जा सकता है।

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ (गंगापुर परिसर), वाराणसी
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith (Gangapur Campus), Varanasi

छात्रसंघ चुनाव : 2018-19
Student Union Election: 2018-19

डॉ० बंशीधर पाण्डेय
चुनाव अधिकारी
Dr. Banshidhar Pandey
Election Officer



महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी-221002
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-221002
Mobile No. - 7617890900
E-mail: pandaybd@gmail.com

पत्रांक/Ref.No. : छा0सं0चु0(गंगापुर)/109 /2018-19

दिनांक : 24/10/2018

11. चुनाव की निर्धारित अवधि में उम्मीदवार जुलूस और/अथवा जनसभा आयोजित कर सकते हैं बशर्ते कक्षाएं, अन्य शैक्षिक कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम से सम्बन्धित क्रिया-कलाप किसी भी रूप में बाधित न हों। साथ ही ऐसे आयोजन विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त होने पर ही किये जा सकते हैं। ऐसे जुलूस अथवा जनसभा में वाह्य व्यक्तियों का प्रवेश या उनकी भागीदारी वर्जित होगी।
12. पूरी चुनाव अवधि में किसी भी उम्मीदवार को केवल एक बार ही जुलूस निकालने अथवा जनसभा करने की अनुमति होगी। ऐसी जनसभा में उम्मीदवार को अपनी योग्यता प्रदर्शित करने के लिए भाषण देने का केवल एक अवसर दिया जायेगा और ऐसा सम्बन्धित चुनाव अधिकारी या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही होगा। इसके लिए समय-सीमा सम्बन्धित चुनाव अधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी।
13. चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर, वाद्ययंत्रों, वाहनों एवं पशुओं का प्रयोग सर्वथा वर्जित होगा।
14. पुरुष प्रत्याशियों या उनके समर्थकों के लिए महिला छात्रावास में चुनाव प्रचार/मतदाता सम्पर्क के लिए प्रवेश वर्जित होगा।
15. चुनाव की अवधि में उम्मीदवार या उनके समर्थकों के लिए विश्वविद्यालय के गंगापुर परिसर में किसी भी प्रकार का हथियार/अग्नेयास्त्र लाना या उसका प्रयोग करना सर्वथा वर्जित होगा। इस नियम का उल्लंघनकर्ता सख्त दण्डात्मक कार्यवाही का भागी होगा।
16. छात्र संघ चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अधिकतम व्यय सीमा रू० 5000/- अनुमन्य होगा।
17. छात्र संघ नियमावली के सन्दर्भ में किसी भी संशय या विवाद की स्थिति में लिंगदोह समिति के प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।
18. मतदान के दिन छात्र सगंठन एवं उम्मीदवार
 - (i) चुनाव अधिकारी के साथ सहयोग करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव शान्तिपूर्वक एवं व्यवस्थित रूप से सम्पन्न हो तथा मतदाता बिना किसी क्षोभ या बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग पूरी स्वतंत्रता के साथ करें।
 - (ii) पेयजल के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भोज्य पदार्थ, ठोस या तरल, पेश/वितरित नहीं करेंगे।
 - (iii) कोई प्रचार सामग्री वितरित नहीं करेंगे।
19. मतदाताओं के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति विश्वविद्यालय चुनाव अधिकारी द्वारा निर्गत पास/अधिकार-पत्र के बिना मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं करेगा।
20. कुलपति द्वारा आवश्यकतानुसार नियुक्त निष्पक्ष पर्यवेक्षक चुनाव पर नजर रखेंगे। चुनाव सम्पादन से सम्बन्धित यदि कोई शिकायत/समस्या हो तो कोई भी उम्मीदवार उसे पर्यवेक्षक के सज्ञान में ला सकता है।
21. आचार-संहिता का पालन करना सभी उम्मीदवारों, उनके समर्थकों, मतदाताओं एवं साधारण सदस्यों के लिए अनिवार्य होगा।
22. सभी उम्मीदवारों को इस आशय का एक शपथ-पत्र अपने नामांकन पत्र के साथ जमा करना होगा कि उन्होंने छात्र-संघ चुनाव आचार-संहिता को पूरी तरह से पढ़-समझ लिया है तथा वे उसका पालन करने का वचन देते हैं और यदि किसी प्रकार से आचार-संहिता का उल्लंघन होता है तो उन्हें चुनाव से वंचित/बहिष्कृत कर दिया जाय।

B

